

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

विधि पुरीक्षण वाद सं० 13R15 वर्ष 2015 धारा
ACTR No-15R15/15

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

मो० इन्तरवाब अन्सारी वर्गो बनाम् एम कुमार सिंह वर्गह

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
25-07-15	<p>आवेदक - मो० इन्तरवाब अन्सारी</p> <p>(2) मो० आत्मगीर अहमद शेखे के प० स्व० अब्दुल शकुर साविन-तपकरा ग्राम-तारण जिला-खूँटी ने मूक्ति सुधार उप समिति खूँटी के आग्रह द्वारा दिनांक 27-05-15 को विधि अपील वाद सं० 05/2014-15 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है वाद की अग्रतः कार्रवाई हेतु अभिलेख अपर समिति खूँटी के आग्रह में हस्तांतरित करें।</p>	<p style="text-align: right;">25/7/15</p>

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी तारीख, यदि कोई Action taken on order with date
	2	3
01-07-20	<p>अभिलेख उपस्थापित। सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कार्यालय सरकार राँची के पत्रांक-332/सि० दिनांक-24-01-20 के द्वारा प्रतिक्रिया है The Bihar Tenants Holding (maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र collector को है न कि Additional collector अथवा Deputy collector को है।</p> <p>अतः उक्त निम्न धारा के मासिक में मैजिस्ट्रेट कारवाई / सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित रखी के न्यायालय में हस्तांतरित करें।</p> <p style="text-align: right;">1.7.2020 भा.प. समाहर्ता रखी।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अपर समाहर्ता के न्यायालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है।</p> <p>अभिलेख पर अग्रेपर व्यतर्क हेतु वाद पंजी में इन-अप कर पत्राचारों को सुपाना निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक क रखें।</p>	